मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 26, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री, आरटीकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सप्तम् प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, अष्टम् प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, नवम् प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं दशम् प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 में की गई अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-39-2005-सूअप्र-1-9, दिनांक 25 अगस्त, 2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में छात्रों को गणवेश हेतु दिये गये चेकों का भुगतान न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के –

(क) ग्राम ढोड़वाहा, झगड़िया , परसोड़ी ग्रामों की सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत बारवी एवं जावरा के हाईस्कूलों का उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम देवगांव में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने ,
(घ) ग्राम पंचायत आरूल, बटामा के पास माचना नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
(ङ) ग्राम मलकापुर की माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
(च) बैतूल नगर स्थित कांतिशिवा छविगृह के पास हाथी नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(2) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य, दतिया जिले के –

(क) ग्राम चिताई में डोगरपुर खभरौली के विद्युत पोलों पर तार एवं ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
(ख) ग्राम रतनगढ़वाली माता मंदिर से रतनगढ़ मुख्य मार्ग तक रोड़ निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम सुनारी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(घ) ग्राम वमनपुरा से प्रतापपुरा तक रोड़ निर्माण कराये जाने,
(ङ) ग्राम सुखदेवपुरा, बिरसिंगपुरा, पाली, को राजस्व ग्राम घोषित कराये जाने,
(च) इन्द्रगढ़ किला खाई एवं थरेट तालाब का अतिक्रमण हटवाये जाने,
(छ) सेवढ़ा वाया लहर मार्ग से रसूकपुरा पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(ज) ग्राम चिताई, डोंगरपुर, उमरपुरा, खमरौली में जाली तार की बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने,

(3) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के –

(क) ग्राम साबोली, नया बिनेगा, श्यामपुरा के किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु आर.बी.सी. नहर से माईनर नहर निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम सिलरा में नरवर तक मुरम रोड़ निर्माण कराये जाने,

(ग) नरवर नगर धर्मतालिया (ऐतिहासिक) का जीर्णोद्धार कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम छितीपुर के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य, सिवनी जिले के –

(क) पी.जी. कालेज में एम.एस-सी. फिजिक्स विषय प्रारंभ कराये जाने,

(ख) सिवनी जिला चिकित्सालय के अन्तर्गत बी.एस.सी. नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने,

(ग) ग्राम पाथर फोड़ी से मोहगांव मार्ग के कुवड़ी नाला पर रपटा कम स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,

(घ) सिवनी जिले को संभाग बनाये जाने,

(ङ) सिवनी पालीटेक्निक कालेज को अपग्रेड कर इंजीनियरिंग कालेज बनाये जाने,

(च) ग्राम मुण्डरई के पास सिद्धेश्वर बांध निर्माण कराये जाने,

(छ) ग्राम तिन्सा में बांध निर्माण कराये जाने, तथा

(ज) ग्राम लखनवाड़ा की बैनगंगा नदी का गहरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा का पुनर्ग्रहण -

"सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापिस लेने हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे, ताकि कृषकों को राहत मिल सके.".

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में इस वर्ष गेहूं खरीदी, परिवहन, रख-रखाव एवं भण्डारण में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, पुरुषोत्तम दांगी, भगवान सिंह राजपूत, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, रामलखन सिंह, हेमराज कल्पोनी सदस्य चर्चा उठायेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 16 जुलाई, 2012